

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:- प. 10(698) परि/पी.डी./सर्वोच्च न्या./2015 पाट/20040 जयपुर, दिनांक 20/10/2015

कार्यालय आदेश 35/2015

विषय :- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देश दिनांक 18.08.2015 की पालना बाबत।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 295/2012 में पारित आदेश दिनांक 22.04.2014 की अनुपालना में माननीय न्यायाधीश के.एस. राधाकृष्णन महोदय की अध्यक्षता में गठित सड़क सुरक्षा समिति के पत्र दिनांक 18.08.2015 (प्रति संलग्न) द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं :-

- निम्न प्रावधानों के उल्लंघन पर वाहन चालक का ड्राइविंग लाईसेंस केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 सपठित केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 21 के अन्तर्गत कम से कम 3 माह के लिए अनिवार्य रूप से निलंबित किया जावे :-
 - निर्धारित गतिसीमा से तेज गति में वाहन चलाने तथा ट्रेफिक सिग्नल की लाल बत्ती का उल्लंघन करने पर।
 - भार वाहनों में क्षमता से अधिक माल परिवहन एवं भार वाहनों में यात्रियों का परिवहन करने पर।
 - नशे में वाहन चलाने पर।
 - वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का उपयोग करने पर।
- हेलमेट के प्रावधान का उल्लंघन करने पर वाहन चालक/पीछे बैठने वाली सवारी पर जुर्माने के अधिरोपण/ चालान प्रशमन से पूर्व उन्हे कम से कम दो घण्टे की सड़क सुरक्षा शिक्षा एवं Counseling दी जावे।
- सीट बेल्ट के प्रावधान का उल्लंघन करने पर वाहन चालक/सवारी को जुर्माने के अधिरोपण/चालान प्रशमन से पूर्व उन्हे कम से कम दो घण्टे की सड़क सुरक्षा शिक्षा एवं Counseling दी जावे।
- निलंबित किये गये ड्राइविंग लाईसेंस का सुव्यवस्थित रिकॉर्ड संधारित किया जावे एवं निलंबन अवधि के दौरान लाईसेंसधारी को किसी प्रकार की लाईसेंस सम्बन्धित सेवाएं प्रदान नहीं की जावे। इस हेतु कम्प्यूटर पर भी आवश्यक चैक लगाये जावें।
- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा राज्य सरकार को उपरोक्तानुसार की गयी समस्त कार्यवाई की रिपोर्ट त्रैमासिक रूप से प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु वांछित सूचना निम्न प्रारूप में प्रति माह की सात तारीख तक ई-मेल आई.डी. addl.rs.tdr@rajasthan.gov.in पर अनिवार्य रूप से भेजें :-

लाईसेंस निलंबन की जिलेवार रिपोर्ट

प्रारूप - क

जिला :-

क्र. सं.	अपराध	नोटिस क्रमांक एवं जारी करने की तिथि	लाईसेंस निलंबन आदेश क्रमांक एवं तिथि	निलंबन अवधि

सड़क सुरक्षा शिक्षा एवं काउंसिलिंग की जिलेवार रिपोर्ट


प्रारूप - ख

जिला :-

क्र. सं.	अपराध	चालान संख्या एवं दिनांक	दो घण्टे के सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण एवं काउंसिलिंग की तिथि	चालान प्रशमन तिथि

उपरोक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे ताकि राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में समिति के समक्ष समयबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। अवहेलना की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(गायत्री राठौड़)

परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक:- प. 10(698) परि/पी.डी./सर्वोच्च न्या/2015 पार्ट/20040 जयपुर, दिनांक 20/10/2015
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्री एस.डी. बंगा, सचिव, सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी, कमरा नं. 222-A, विज्ञान भवन, एनेक्सी, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली - 01 को सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त महानिदेशक (ट्रेफिक) पुलिस, राजस्थान जयपुर को पुलिस विभाग द्वारा समस्त फील्ड अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर अनुपालना सुनिश्चित कराने एवं संकलित रिपोर्ट प्रति माह 10 तारीख तक परिवहन विभाग मुख्यालय को उपलब्ध कराने बाबत।
3. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
4. अपर परिवहन आयुक्त (आई.टी.) को "सारथी" सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान कराने हेतु।
5. अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) को पालना सुनिश्चित कराने हेतु।
6. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
7. सिस्टम एनालिस्ट, परिवहन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा)